9

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 168 / 2022

पवन कुमार कटारिया अध्यक्ष RPCC गांधीवादी संगठन, खेतडी, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 06.06.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 16.05.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 168 / 2022 पर दिनांक 16.05.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2022 / 2192–93 दिनांक 17.05.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5) न्याय / सू0अ0 / 22 / 670 दिनांक 20.05.2022 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी पवन कुमार कटारिया अध्यक्ष RPCC गांधीवादी संगठन, खेतडी, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 22.03.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5) न्याय / सू0अ0 / 09 / 113 दिनांक 25.03.2022 द्वारा राजकीय जयसिंह उच्च माध्यमिक विघालय, खेतडी को नियमानसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं द्वारा पत्रांक एफ 16(4)(5) न्याय / सू0अ0 / 22 / 670 दिनांक 20.05.2022 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी पवन कुमार कटारिया अध्यक्ष RPCC गांधीवादी संगठन, खेतडी, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 22.03.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5) न्याय / सू0अ0 / 09 / 113 दिनांक 25.03.2022 द्वारा राजकीय जयसिंह उच्च माध्यमिक विघालय, खेतडी को नियमानसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। चूंकि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु अन्तरित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि अ... द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि ...

आदेश आज दिनांक 06.06.2022 को खुले न्याया... में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.13 12:04:11 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं